	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-7-21	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप० पत्रावली हिताउ वास्ते जवाब प्रा०पत्र 18-8-21 को पेश हो।	
18-8-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाश पर है ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है।~~ ~~अन्य कार्य मे व्यस्त है।~~ अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23-9-21 को पेश हों।	
23-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज शपथ पत्र पेश की गई नकल जवाब प्रा.पत्र प्रार्थी को दिलाई गई वास्ते बहस पत्रावली 2-12-21 को पेश हो।	
2-12-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश ~~बाहर~~ दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13-1-22 को पेश हों।	
13-1-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 3-3-22 को पेश हों।	
3-3-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थना स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पाबन्द किया गया रिकॉर्ड निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सकल मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned with CamScanner

घनश्याम बनाम रामप्रसाद वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निर्णय दिनांक 3-3-2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 634 रकबा 1.18 हैक्ट. ख.स. 633 रकबा 0.06 हैक्टर ग्राम देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसकी सिंचाई सरकारी नहर से होती है। प्रार्थी के खेत से लगवा ही अप्रार्थी रामप्रसाद उर्फ चौथमल का खेत है दोनो पक्षों के खेतों के मध्य मेड बनी हुई है प्रार्थी की भूमि पर एक पानी का धोरा बना हुआ है। जिसमें होकर नहर का पानी आता है अप्रार्थीगण द्वारा माह दिसम्बर 2018 के अंतिम सप्ताह में दोनो पक्षों के मध्य बनी खेत की मेड को तोड़कर प्रार्थी के धोरे को मिटा दिया गया एवं एक फीट तक अतिक्रमण कर पक्के मकान का निर्माण शुरू कर दिया गया तथा 5 फिट का छज्जा प्रार्थी के खेत में निकाल दिया गया, प्रार्थी अपने खेत में मिट्टी हटाकर पानी खेत में ले जाने की तैयारी कर रहा था अप्रार्थीगण द्वारा मारपीट की धमकी दी गई मिट्टी हटाने नही दी गई। प्रार्थी के पास नहर से सिंचाई के अलावा अन्य कोई साधन नही होने से फसल नही होगी प्रार्थी भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। और अन्त में निवेदन किया अतिक्रमण कर बनाये मकान व 5 फिट के छज्जे को हटवाया जावे एवं अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 3 को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया वर्णित आराजी में सिंचाई नहर से ही होती है प्रार्थी के खेत से नहर निकलती है। परन्तु प्रार्थी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि से जबरन धोरा निकालना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में 10 फिट छोड़कर मकान बनाया है तथा छज्जा भी अपनी भूमि में निकाला है प्रार्थी मकान के पश्चात छोड़ी गई कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रगढ़ में पेश किया है जो जेरकार है तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पाबन्द किया हुआ है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमारे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 633 व 634 जो सरकारी नहर से लगते हुए है तथा नहर से पानी की सिंचाई होती है तथा पानी का धोरा भी प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि पर है इस आधार अप्रार्थीगण को तोड़ने व पानी नहीं निकालने का कोई अधिकार नहीं बनता है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 26-02-2019 की छाया प्रति पेश की है उक्त निर्णय में वर्णित खसरा संख्या से नहीं होने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उभयपक्ष को अपनी अपनी सीमाओं में रहने के लिए क्यों न पाबन्द किया जावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से से तांफैसला मूलवाद पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी स 1 लगायत 4 प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 633 व 634 वाके ग्राम डेहीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ की सीमा से गुजर रही सरकारी नहर से प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि में से सिंचाई करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करे। साथ ही प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में सिंचाई हेतु किसी प्रकार का धोरा पाइप इत्यादि का निर्माण नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)